बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यक सूचना (विज्ञापन संख्या–03/2018)

1. बिहार विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत *(i)* प्रतिवेदक *(ii)* निजी सहायक एवं *(iii)* आशुलिपिक के पदों पर भर्त्ती के लिए आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा निम्न प्रकार आयोजित की जायेगी:–
   - (i) प्रतिवेदक पद के लिए आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षादिनांक 21.02.2019 से 24.02.2019 प्रत्येक दिन चार बैचों में होगी।
   - (ii) निजी सहायक पद के लिए आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा दिनांक 25.02.2019 से 01.03.2019 प्रत्येक दिन चार बैचों में होगी।
   - (iii) आशुलिपिक पद की आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा दिनांक 02.03.2019 से 05.03.2019 तक प्रत्येक दिन पाँच बैचों में होगी।
2. सभी पदों के लिए दिनांक–10.02.2019 से अभ्यर्थियों का प्रवेश–पत्र **(Admit Card)** बिहार विधान सभा की बेवसाईट**www.vidhansabha.bih.nic.in**पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी अपना **Application No.**एवं**Date of Birth**के द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि/समय Admit Cardपर अंकित रहेगा।

   अभ्यर्थियों को डाक से (By Post) प्रवेश–पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा ।
3. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश–पत्रएवं पहचान–पत्र(मूल) के साथ उपस्थित होंगेतथा प्रवेश–पत्रपर अंकित अनुदेश का अध्ययन कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
4. परीक्षार्थी परीक्षा के निर्धारित समय से 60 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचेंगे। परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट पूर्व से परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर जायेंगे।
5. अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो कलम लाने की अनुमति दी जायेगी।
6. **परीक्षा केन्द्र में घड़ियाँ, पुस्तकें, कागज के टुकड़े पत्रिकाएँ, इलेक्ट्रोनिक्स गैजेट्स यथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन–बटन होल कैमरा, स्कैनर, केलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि लाना सख्त वर्जित है। यदि ऐसी कोई सामग्री परीक्षा–कक्ष में अभ्यर्थी के पास पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और उसके विरूद्ध कानूनी/आपराधिक कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है।**
7. अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी (Frisking) की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
8. अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन में दर्ज करेंगे अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा।
9. परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई परीक्षार्थी वीक्षक/पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा–कक्ष से बाहर जाते हैं तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
10. यदि परीक्षा निर्धारित समय पर आरम्भ नहीं होती है अथवा किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारणवश् बीच में बाधित हो जाती है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा पदाधिकारी के अनुदेशों का अनुसरण करना चाहिए। उन्हें समस्या का उपयुक्त रूप से समाधान होने तक, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।
11. यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश–पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा हो तो वे अपना ऑनलाईन आवेदन की प्रति संलग्न कर Email Id-blas.recruitment@gmail.com अथवा मोबाईल संख्या–9606094761 पर संपर्क कर सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी वाह्य व्यक्ति हों बिहार विधान सभा सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब दूरभाष संख्या–0612–2215709 तथा ई–मेलः secretarybvs@gmail.com पर सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

सचिव

बिहार विधान सभा, पटना।